सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 अग्रहायण 13, गुरुवार, शाके 1947– दिसम्बर 4, 2025 अंक 36
Vol. 77 Agrahayana 13 , Thursday, Saka 1947–December 4, 2025 No. 36

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एफ. 1/12/एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता सुखवंत सिंह SUKHWANT SINGH (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व सुखवंत सिंह रामगड़िया SUKHWANT SINGH RAMGARHIA (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो सहायक लेखाधिकारी– प्रथम (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में पंचायत समिति रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों, मेरे पूर्व नाम सुखवंत सिंह रामगड़िया उपनाम रामगड़िया सिर्फ को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम सुखवंत सिंह तथा उपनाम त्याग करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व नाम सुखवंत सिंह रामगड़िया किये गये उपनाम (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण नाम सुखवंत सिंह द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूं कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बन्ध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम सुखवंत सिंह रामगड़िया तथा उपनाम रामगड़िया सिर्फ के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में नाम सुखवंत सिंह के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम सुखवंत सिंह के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूं तथा उसके लिए निवेदन करता हूं।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम सुखवंत सिंह रामगड़िया एवं नये नाम सुखवंत सिंह का वर्णन किया है तथा दिनांक 11–11–2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपयुक्त नाम सुखवंत सिंह द्वारा जो पूर्व में सुखवंत सिंह रामगड़िया कहलाता था, हस्ताक्षर किये है।

साक्षीः–

(1) कमल कान्त सोनी (सहायक विकास अधिकारी)
पंचायत समिति रायसिंहनगर।

(2) देवेन्द्र सिंह (वरिष्ठ लिपिक)
पंचायत समिति रायसिंहनगर।

हस्ताक्षर
नया नाम : सुखवंत सिंह
(SUKHWANT SINGH)
पुराना नाम : सुखवंत सिंह रामगड़िया
(SUKHWANT SINGH RAMGARHIA)

ATTESTED
BHARAT KUMAR BHATI
11-11-2025
NOTARY
RAISINGHNAGAR
DISTT. SRI GANGANAGAR
(RAJ.).

प्रतिहस्ताक्षर
छगनाराम
विकास अधिकारी
पं. स. रायसिंहनगर।
DDO CODE 2010
23503

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।